

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U. P. Power Corporation Ltd.

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम) शक्ति भवन 14—अशोक मार्ग, लखनऊ ।

संख्या-3-विनियम एवं औस0 / पाकालि / 11-9-विनियम / 85

दिनांक ²⁻⁹ जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.01.11 को सम्पन्न हुई 85वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद अवर अभियंता सेवा विनियमावली, 1972 (यथा संशोधित) के विनियम— 9 के अपेन्डिक्स 'ए' में प्राविधानित वर्तमान तकनीकी अर्हता (निम्न अंकित स्तम्म—1) को संशोधित कर निम्न अंकित स्तम्म—2 में अंकित तकनीकी अर्हता से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ-1

विनियम –9 का वर्तमान एपेन्डिक्स 'ए'

A Candidate for recruitment as Apprentice Junior Engineer must have passed the :

1- Three years Diploma Examination in Electrical and Mechanical Engineering from an Institute recognised by the State Government.

Or

2- City and Guide London Institute, Final Grade Examination in Electrical Engineering Practice Posts I and II held after June 3, 1950.

Or

3- Three years All India Diploma Examination in Electrical Engineering Conducted by the All India Council for Technical Education, Government of India, Delhi Polytechnic.

Or

4- Diploma Examination in Electrical and Mechnical Engineering conducted by any of the Universities in India incorporated by an Act of the Central/State Legislature

Or

National Certificates in Electrical

स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित एपेन्डिक्स 'ए'

A Candidate for recruitment as Apprentice Junior Engineer must have passed the :

1- Three years Diploma in Electrical Engineering/Electronics//Tele Communication Engineering/ awarded by Pravidhik Shiksha Prishad, Uttar Pradesh .Or a Diploma, equivalent thereto, recognised by the State Government.

Or

2- Three years All India Diploma
Examination in Electrical
/Electronics/Tele -communication
Engineering/ conducted by the All India
Council for Technical Education,
Government of India.

 O_{1}

3- Diploma Examination in Electrical /Electronics/Tele-communication Engineering/ conducted by any of the Universities In India incorporated by an Act of the Central/State Legislature.

Note:- Diploma received through Distance Learning Education will not be eligible.

as well as Mechnical Engineering awarded by the All India Council for Technical Education.

Or

- 6- Final Examination held by the of Technical Board State Education, Uttar Pradesh for two Diploma Course years Engineering Mechanical (Machine Tools Technology) and Electrical Engineering (Electrical Technology) in respect of Students trained at the under mentioned Institutions:
 - (i) Government Polytechnic, Lucknow
 - (iii) Nainital Polytechnic, Nainital Or
 - 7- डिप्लोमा परीक्षा जो इलैक्ट्रानिक्स / टेली कम्यूनिकेशन में किन्हीं निम्न द्वारा आयोजित की गई हों :-
 - भारत के किसी विश्वविद्यालय से, जो केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा संस्थापित हो ।
 - राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई स्थान या
 - 4. आल इन्डिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजूकेशन भारत सरकार के दिल्ली पालीटेक्निक

Or

8- Three years Diploma in Instrumentation and control Engineering awarded by the Pravidhic Shiksha Parishad, Uttar Pradesh and Engineering & Gramin Prodyogiki Sansthan, Allahabad

2. उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे एवं संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे ।

Que id

निदेशक मण्डल की आज्ञा से, नवनीत सहगल अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या—3 (i) —विनियम एवं औस0 / पाकालि / 11 तददिनांक 29 / 1/11

	प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1.	प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ० प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ ।
2.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पाँ०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य
	कार्यकारी अधिकारी ।
3.	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
4.	प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम
	लि० / उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5.	समस्त निदेशकगण, उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6.	प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम
	लिo, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा / केस्को, कानपुर ।
7.	मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
	बी–17, जे–रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ / विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० राज्य
	विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
8.	अपर सचिव—प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अराजपत्रित / महाप्रबन्धक (लेखा
	प्रशासन) / सलाहकार (औo संo) / (काविनी), उo प्रo पाoकाoलिo, शक्ति भवन,
	लखनऊ।
9.	मुख्य अभियंता (जल–विद्युत), उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
10.	कम्पनी सचिव, उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11/	अधिशासी अभियंता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु।

(जावेद अहमद) 29|1|II अनु सचिव (विनियम)